रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243201
CG-DL-E-25012023-243201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944
No. 49] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

सं. 2/2023- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 50(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात् जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "थैलिक एनहाइड्राइड" (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/16/2020-डीजीटीआर जिसे दिनांक 19 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;

(ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 43/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 9 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया था, के माध्यम से विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है;

और जहां कि, एक्युंग केमिकल कं. लिमिटेड ने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर शुल्क तालिका में सहयोगी उत्पादक का नाम "एक्युंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड" से बदलकर "एक्युंग केमिकल कं. लिमिटेड" करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था जिसे अधिसूचना संख्या 6/16/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 मई, 2021 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था;

और जहां कि, नामित प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 7/06/2022-डीजीटीआर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, दिनांक 30 सितंबर, 2022 में प्रकाशित के तहत, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी के भीतर आता है और इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है जिससे की व्यवसाय की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन होता हो और अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/16/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 मई, 2021 में सिफारिश करता है कि निर्माता का नाम अर्थात "एक्युंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड" में संशोधन करके "एक्युंग केमिकल कं. लिमिटेड" किया जाए।

अतः अब, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की उपरोक्त अधिसूचना संख्या 7/06/2022-डीजीटीआर पर विचार करने के बाद, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 43/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), जिसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 9 अगस्त, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 6 की प्रविष्टि के स्थान पर, "एक्युंग केमिकल कं. लिमिटेड" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/319/2022- टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

No. 2/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 50(E).—Whereas, in the matter of 'Phthalic Anhydride' (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/16/2020-DGTR, dated the 19th May, 2021, had come to the conclusion that –

(i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the domestic industry had suffered material injury;

(iii) there is causal link between dumping of subject goods and injury to the domestic industry,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2021-Customs (ADD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 543(E), dated the 9th August, 2021;

And whereas, Aekyung Chemical Co., Ltd. has requested the designated authority for changing the name of cooperating producer from "Aekyung Petrochemical Co., Ltd." to "Aekyung Chemical Co., Ltd." in the duty table of the final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 6/16/2020-DGTR, dated the 19th May, 2021;

And whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/06/2022-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th September, 2022, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the ownership in a manner that alters the basic nature of the business and recommended that the name of the producer viz. "Aekyung Petrochemical Co., Ltd." be amended to "Aekyung Chemical Co., Ltd." in its final findings notification No. 6/16/2020-DGTR, dated the 19th May, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid notification No. 7/06/2022-DGTR of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2021-Customs (ADD), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 543(E), dated the 9th August, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 6, in Column (6), for the entry, the entry "Aekyung Chemical Co., Ltd." shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/319/2022-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.01.25 14:43:41 +05'30'